संख्या : 253 /ज0प्र0अनु0/19(5)/2014

प्रेषक,

सविन बंसल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,(प्रशासन),
जलागम प्रबन्धक निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग(जलागम) देहरादून : दिनांक 8 अप्रैल, 2015

विषयः जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत कियान्वित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना एवं IFAD पोषित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) के अन्तर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 2611/6-3(3) दिनांक 26 मार्च, 2015 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जलागम प्रबन्ध निदेशायलय के अन्तर्गत कियान्वित विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या फेज-2) IFAD पोषित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) की समयबद्धता एवं रेखीय विभागों से कार्मिकों की पर्याप्त उपलब्धता न होने के दृष्टिगत परियोजनाओं के सुगम संचालन हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति तथा वाह्य श्रोत के माध्यम से नियमानुसार चयन एवं तैनाती की कार्यवाही किये जाने हेतु मुख्य परियोजना निदेशक को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार, उक्त परियोजना अवधि अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक दिये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. ऐसे स्वीकृत पद, जिनके सापेक्ष संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति/वाह्य श्रोत से रखे जाने पर नियमानुसार विचार किया जाता है, ऐसे पदों को नियमित कार्मिकों से प्रतिनियुक्ति से नहीं भरा जायेगा तथा इन पदों को रिक्त रखा जायेगा।

3. सेवानिवृत्त कार्मिकों को नियत मानदेय (अन्तिम आहरित वेतन से शुद्ध पेंशन की धनराशि (बिना राशिकरण कम किये)घटाते हुये) पर अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिये पुनः रखे जाने की स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि ऐसे अभ्यर्थी की आयु 65 वर्ष से अधिक न हो और वह स्वस्थ हो एवं शारीरिक रूप से परियोजना के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने के लिये सर्वथा उपयुक्त हो।

4. जिन पदों के सापेक्ष सेवानिवृत्त कार्मिकों/वाह्य श्रोतों में रखे जाने पर विचार किया जायेगा, ऐसे पदों का सम्पूर्ण विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाय।

PD (Adm) कृपया Guard file में रखें

18/4/15

भवदीय,

08-04-15

(सविन बंसल)
अपर सचिव

............2/

संख्या : 253 / ज0प्र0अनु0 / 19(5) / 2014 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार, आडिट, उत्तराखण्ड इन्दिरानगर देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त गढ़वाल / कुमायू मण्डल पौड़ी / नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. कार्मिक अनुभाग उत्तराखण्ड शासल।
7. गार्ड फाईल।

भवदीय,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव